न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या– 19/2019

चैनाराम पुत्र सरदाराराम जाति बावरी निवासी चक 19 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। .....अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जरिये पैरोकार राज.।

.....रेस्पोण्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री दलवीरसिंह सोवना, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार श्रीविजयनगर

– : : निर्णय : : – **दिनांकः– 18.11.2020**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 03.07.2018 जिसके द्वारा जरिये मिसल संख्या 13/2018 व 7/18 अनवान चेनाराम बनाम सरकार में चक 19 एएस का पत्थर न. 235/466 का किला न. 1 ता 25 =25.00 बीघा की वसीयत अनुसार इंतकाल करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया, के विरूद्व 21.06.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपीला के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के चाचा पेमा पुत्र जीवा बावरी के नांम से चक 19 ए.एस. में पत्थर नम्बर 235/466 का 25 बीघा कमाण्ड भूमि पुख्ता आवंटन थी जो उसी के कब्जा काश्त में थी। पेमा शादीशुदा नहीं होने से उसके कोई औलाद नहीं थी। इसलिए वह अपीलान्ट के ही साथ रहता था व अपीलान्ट की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने को आंवटित जैर अपील भूमि की वसीयत प्रार्थी के नाम रोबरू गवाहान दिनांक 19.05.1979 को करवा दी थी। अपीलार्थी के चाचा पेमा का स्वर्गवास दिनांक 08.10.1990 को हो गया व भूमि का कब्जा तब से ही अपीलार्थी के पास चला आ रहा हैं। अपीलार्थी ने उसके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष दिनांक 14.05.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर कर अखबार में सूचना जारी की गई व आगे की कार्यवाही हेतु पत्रावली सुनवाई में रखी गई। पत्रावली दिनांक 25.06.2018 को शिविर में ग्राम पंचायत कूंपली कैम्प में रखी गई परन्तु उस दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई व उस दिन अपीलार्थी की गैर हाजरी दिखाकर पत्रावली का निर्णय दिनांक 03.07.2018 को करते हुए जैरअपील आदेश के द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया तथा उक्त फैसला में धन्नाराम व कालूराम का कब्जा होना गलत बताया व भूमि बेचान करने के तथ्य को भी गलत बताया । चूंकि भूमि अपीलार्थी के नाम रिकार्ड में दर्ज हुए बिना बैयनामा हो ही नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

सकता। अदालत मातहत ने अपने ही कयासो के आधार पर जैर अपील फैसला गैरकानूनी रूप से पारित किया हैं जो निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया। रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया । अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दलवीर सिंह सोवना एवं रेस्पोडेंट पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री दलवीर सिंह सोवना ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के चाचा पेमा पुत्र जीवा बावरी के नाम से चक 19 ए.एस. में पत्थर नम्बर 235/466 का 25 बीघा कमाण्ड भूमि पुख्ता आवंटन थी जो उसी के कब्जा काश्त में थी। पेमा शादीशुदा नहीं होने से उसके कोई औलाद नहीं थी। इसलिए वह अपीलान्ट के ही साथ रहता था व अपीलान्ट की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने को आंवटित जैर अपील भूमि की वसीयत प्रार्थी के नाम रोबरू गवाहान दिनांक 19.05.1979 को करवा दी थी। अपीलार्थी के चाचा पेमा का स्वर्गवास दिनांक 08.10.1990 को हो गया व भूमि का कब्जा तब से ही अपीलार्थी के पास चला आ रहा हैं। अपीलार्थी ने उसके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष दिनांक 14.05.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर कर अखबार में सूचना जारी की गई व आगे की कार्यवाही हेतु पत्रावली सुनवाई में रखी गई। पत्रावली दिनांक 25.06.2018 को शिविर में ग्राम पंचायत कूंपली कैम्प में रखी गई परन्तु उस दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई व उस दिन अपीलार्थी की गैर हाजरी दिखाकर पत्रावली का निर्णय दिनांक 03.07.2018 को करते हुए जैरअपील आदेश के द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया उक्त फैसला में धन्नाराम व कालूराम का कब्जा होना गलत बताया हैं व भूमि बेचान करने के तथ्य को भी गलत बताया हैं चूंकि भूमि अपीलार्थी के नाम रिकार्ड में दर्ज हुए बिना बैयनामा हो ही नहीं सकता। जैर अपील रकबा का कब्जा वसीयत के दिन से ही उसके पास हैं भूमि की तमाम किश्ते खजाना राज में जमा करवाई हुई होने से खातेदारी सरकार को जारी करनी हैं अपीलान्ट या आंवटी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2006 पेज 133 का माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि जब समस्त किश्ते जमा हो गई व खातेदारी जारी करने का समय पूरा हो गया तो कानूनी रूप से वह रकबा खातेदारी ही माना जावेगा भूमि का आगे बेचान करने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं। चूंकि दूसरा कोई पक्षकार इस रकबा का अधिपत्य ही प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वसीयत के मुताबिक इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत व पूर्ण जांच उपरांत ही पारित किया गया हैं इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी गहनता से अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय में उक्त रकबा को गैर खातेदारी मानकर उक्त आदेश पारित किया है। हमने पत्रावली में उपलब्ध इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 25/2014 अनवान सुमित्राबाई आदि बनाम जागरसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2004 अनुसार राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 में दिनांक 05.05.1984 से पूर्व हस्तान्तरण के प्रकाश में वसीयत का उल्लेख होने से तथा उन पर आधारित हैं। संसोधन दिनांक 05.05.1984 द्वारा हस्तान्तरण के प्रकार से वसीयत शब्द को हटा दिया था। राजस्थान उपनिवेशान अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान प्रभावी हैं। इस प्रकार धारा 13 के प्रावधानो के प्रकाश में आरटीए की धारा 39 कॉलोनी ऐरिया में स्थित भूमि पर लागू नहीं मानी जा सकती है। इसके अलावा आवंटन होने के बाद समस्त किश्ते जमा होकर खातेदारी जारी करने की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

समय अवधि पूरी होने के बाद रकबा कानूनी रूप से खातेदारी के रूप में ही देखा जावेगा। आंवटी की मृत्यु हो चुकी हैं व वसीयतग्रहिता के पक्ष में भी इन्तकाल नहीं करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकार खाली नहीं रह सकते। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार जैर अपील रकबा पर किसी भी सक्षम अदालत का स्थगन आदेश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए तहसीलदार श्रीविजयनगर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमों का अवलोकन कर एवं प्रार्थी को पुनः सुन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner